भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1924
18 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में आयुष संस्थानों की स्थिति

1924. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्यमान आयुष संस्थानों और इनमें से प्रत्येक संस्थान के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का और विस्तार करने के लिए देश में 10 और आयुष संस्थान स्थापित करने जा रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश में कितने संस्थान स्थापित किए जाएंगे; और
(घ) आयुष्मान भारत योजना में आयुष को शामिल करने से आयुष के विस्तार और इस पद्धति को देश के प्रत्येक वंचित तथा अल्पसेवित हिस्से तक पहुंचाने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, 942 आयुष कॉलेज हैं जो 77151 की प्रवेश क्षमता के साथ भारत में स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 942 आयुष कॉलेजों में से, 932 कॉलेज, 69497 की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं जबकि 254 कॉलेज, 7654 की प्रवेश क्षमता के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में आयुष कॉलेजों का पद्धति-वार ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया है।

(ख) और (ग): जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में आयुष संस्थानों की स्थापना करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उन राज्यों में आयुष कॉलेज स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, एनएएम के दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव भेजकर पात्र वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकती हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से एसएएपी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने विशाखापटनम में एक राजकीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सा कॉलेज अनुमोदित किया है।

(घ): आयुष्मान भारत, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली (जिसमें रोकथाम, संवर्धन और एम्बुलेंस देखभाल सेवा शामिल है) पर ध्यान देना है। इसमें दो घटक हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हैं:

i. स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र (एचडब्ल्यूसी)
ii. प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.03.2020 को राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की व्यापक केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत के तहत 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) [जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) का नाम दिया गया है] का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक, जिसे 2024-25 तक बढ़ाया गया है, चरणबद्ध ढंग से संचालन करने के आयुष मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देश के प्रत्येक वंचित और अल्पसेवित हिस्सों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहे, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की कुल 12,500 इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में उन्नयन करने के लिए अनुमोदित किया गया है। हालांकि, आयुष को पीएम-जेएवाई घटक के तहत शामिल नहीं किया गया है।

*****

संलग्नक

दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार देश में आयुष कॉलेजों का पद्धति-वार विवरण

क्र. सं.	पद्धति	कॉलेजों की कुल संख्या		
		राजकीय	अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) स्नातक-पूर्व शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज				
1	आयुर्वेद	71	467	538
2	यूनानी	11	43	54
3	सिद्ध	3	14	17
4	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	5	44	49
5	होम्योपैथी	39	228	267
6	सोवा रिग्पा	3	4	7
कुल		**132**	**800**	**932**
(ख) स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज (जिनमें विशिष्ट पीजी कॉलेज शामिल हैं)				
1	आयुर्वेद	42	115	157
2	यूनानी	13	7	20
3	सिद्ध	3	0	3
4	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	1	3	4
5	होम्योपैथी	20	50	70
कुल		**79**	**175**	**254**
(ग) विशिष्ट स्नातकोत्तर कॉलेज				
1	आयुर्वेद	3	0	3
2	यूनानी	4	0	4
3	होम्योपैथी	1	2	3
कुल		**8**	**2**	**10**

स्रोत : 'आयुष इन इंडिया-2023' जो आयुष मंत्रालय का प्रकाशन है।